संपादकीय

किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिऐ बहुत से कदम उठाने की आवश्यकता है। कृषि से संबंधित फसल बीमा का सुझाव, दूरदर्शन पर डी.डी. किसान चैनल की शुरूआत, कार्य कुशलता का विकास और भूमि स्वास्थ्य कार्ड बनाने जैसे उपाय नई सरकार ने आरंभ कर दिऐ हैं। इनमें दृष्टि और महत्व तो नजर आता है किंतु इन नितियों को लागू करने के लिऐ किसी दल का गठन नहीं किया गया है। फसल बीमा योजना को तभी सफल माना जाऐगा जब यदि 3 वर्ष के पश्चात प्राकृतिक आपदा आति है तो किसानों के खाते में अपने आप फसल बीमा की राशि पहुँच जाऐ। वर्तमान नितियों को संरक्षण और कार्यों से तो ऐसा लगता है की किसानों की आशाओं और उनकी सोच को सच करने के लिऐ दूरदर्शन किसान चैनल पर भी रोक लगा देंगे।

सरकार लाखों भूमि स्वास्थ्य कार्ड जारी कर सकती है। यह भी मान लें की तकनीकी रूप से वह सही होंगे और भूमि के माईक्रो–न्यूट्रिऐंटस की भी मात्रा होगी किंतु किसानों को आने वाली समस्याओं को वे समझ पाऐंगे इसमें संदेह है। भूमि का परिक्षण एक साधन हो सकता है किंतु समाधान नहीं। भारत को चीन का अनुकरण करना चाहिऐ जो विश्व उर्वरक का 30 प्रतिशत भाग उपभोग करता है। चीन का अनुमान है कि वर्ष 2005 से जब भूमि परिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया और किसानों को जमीन के आधार पर विशेष उर्वरक उपयोग करने की सिफारिश की गई, ऐसा करने से 80 लाख टन उर्वरक का उपयोग कम हो गया। हमारी सिंचित भूमि नमकीन तालाब बन चुकी है क्योंकि नालि/नालों की सुविधा नहीं है और दूसरी तरफ देश के बाकि हिस्सों में पानि की कमी हो चुकी है।

नई सिंचाई परियोजनाऐं आरंभ करना कोई समाधान नहीं है। हम प्रति व्यक्ति अपना जल, उर्वरक और कीटनाशक उपभोग की मात्रा कम करके भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि परामर्श सेवाओं को नजर–अंदाज करने के कई दशकों बाद, कुछ – किसानों सहित – ही मानते हैं कि प्रति पशु और प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाकर ही हम गाँव वासियों के संकटों को कम कर सकते हैं। उन्नत फसलों से उत्पादन बढ़ेगा, किसान की आय बढ़ेगी और ग्रामीण वेतन में भी वृद्धि होगी।

किसानों को मौसम और मूल्यों उतार–चढ़ाव का सामना करने में समर्थ बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी के लिऐ 10 वर्ष तक नियमित प्रयास करने होंगे। किंतु 5 वर्ष की आने वाली प्रत्येक सरकार में इतना धैर्य नहीं होता है। किंतु अच्छा कार्य कभी भी आरंभ किया जा सकता है। हालांकि ऐसे कार्यक्रमों की शुरूआत होने में विलंभ हो रहा है, जिससे सरकार को इसका चुनावों में लाभ मिलने की संभावना है।

संकट के समय कृषि करना अनिवार्य तो है किंतु धातक भी

नरेश मनोचा – अनुभवी पत्रकार एवम् कृषि विशेषज्ञ

'जैसे ही मैं अपना संबोधन समाप्त करूँगा तो हो सकता है कि सरकार के बहुत से सदस्य कृषि निवेश से संबंधित प्रश्न सुनकर वे तंग आ चुके हैं। किंतु मेरी समस्या यही है। इसी प्रकार के उत्तर भारत सरकार भी देती आ रही है चाहे सवतंत्रता से पहले चाहे बाद में अर्थात कई वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। वर्ष 1934 से मेरे जैसे जो कृषि से जुडे हुऐ थे, वे किसान किसी ऐसी संस्था की मांग कर रहे थे जो भारत सरकार की ओर से कोई कारगर शुरूआत कर सके, जैसा इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है .... कुछ खास नहीं हुआ ..... हमें उसी प्रकार का उत्तर मिल रहा है 'इंतजार करो ओर देखो'। हम अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं और देख रहे हैं। इसी बीच में यह समस्या अत्यधिक गंभीर हो चुकी है।' – **सर्वगीय प्रौफेसर ऐन.जी रंगा, ने 24 अप्रैल, 1953 को राज्य सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुऐ कहा था की एक अखिल भारतीय कृषि ऋण निगम की स्थापना की जाऐ।**

सर्वगीय प्रौफेसर ऐन.जी रंगा, अनुभवी सांसद ही नहीं बल्कि विद्वान भी थे क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 60 वर्ष से भी अधिक होने के पश्चात भी भारत में किसान ऋण के बोझ से दबा हुआ है। कृषि संकट से पूरा देश हिला हुआ है ऐसे में उनकी स्पीच पर ध्यान जाना स्वभाविक है क्योंकि उन्होंने यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आज ऐसा प्रतित होता है कि उनकी सोच आज देश के लिऐ बहुत महत्वपूर्ण है।

किसानों द्वारा अपनी भूमि बेचकर ऋण चुकाने के बारे में प्रौफेसर रंगा जो एक किसान आंदोलन के अगुआ भी थे, ने कहा था कि यदि सरकार किसानों को नजर अंदाज करती है, राज्य सरकार द्वारा उठाऐ गऐ कदम असफल रहने के कारण किसानों को अपनी दशा सुधारने के लिऐ और ऋण चुकाने के लिऐ जमीन बेचनी पड़े तो इसका अर्थ यह है कि सरकार और राज्य सरकारें लोगों को ऐसा प्रेरित कर रही है कि वे ऋण चुकाने के लिऐ, अपनी सामाजिक जिम्मेवारियां पूरी करने के लिऐ जमीन बेच दें और इस प्रकार किसानों को उनके रोजगार से दूर करना चाहती है।

स्वतंत्रता के पश्चात से इस प्रकार के नेताओं के प्रतिष्ठित विचारों से आत्मा हिल जाती है लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती और वे कई प्रकार के कृषि संकट को एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं। किंतु अब इस समस्या से निपटना कठिन हो गया है। अब भी इसका समाधान एक व्यापक पैकेज के द्वारा किया जा सकता है जैसे केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर कृषि को पुर्नजिवित करें और ऐन.डी.ऐ. सरकार के नवगठित निति आयोग द्वारा इस पर निगरानी रखी जाऐ, यदि अंतरराज्य परिषद् या राष्ट्रीय विकास परिषद् (वर्तमान में दोनों लगभग समाप्त) द्वारा नहीं, ताकि यह कारगर ढ़ंग से किर्यान्वित हो सके।

कृषि अर्थवयवस्था की समसयाओं का विशलेषण करने और उन पर कार्यवाही करने के प्रति ऐन.डी.ऐ. सरकार ने अपेक्षित राजनैतिक इच्छा नहीं दर्शाई है। यू.पी.ऐ. सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे पाई जबकि राष्ट्रीय किसान कमीशन और अन्य सरकारी संस्थाओं की अच्छी सोच थी और कारगर परामर्श भी दिया गया था।

अंग्रेजी राज के समय और उससे पहले कृषि संकट का प्रमुख कारण सामंतवादि प्रथा, निजि साहूकार, प्राकृतिक आपदा और किसानों से मंड़ियाँ दूर होना तथा बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव था जिस कारण कृषि भूमि के टुकड़े होने आरंभ हो गऐ। आज भी स्थिति लगभग वही है।

- निजि साहूकारों की संख्या में कमी अवश्य आई है किंतु आज भी इनकी भूमिका है। प्रकृति की प्रमुख भूमिका जबकि सिंचित क्षेत्र बढ़ा है और उन्नत कृषि के विकल्प भी हैं तथा फसलों का प्रावधान एवम् पशु पालन बिमा जैसी सुविधाऐं कुछ किसानों को मिल रही हैं।

- किसानों के आस–पास मंड़ियों की सुविधा जुटाना कुछ सीमा तक सुधार हुआ है किंतु वह कुछ फसलों के लिऐ ही है। आज भी अधिकतम किसानों को अपनी सबजी और फल कम दाम पर या मजबूरी में बेचने पड़ते हैं।
- जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि भूमि छोटे–छोटे टुकडों में बंटने से कृषि संकट बढ़ा है जिस कारण छोटे और मझौले किसानों के लिऐ खेती लाभकारी नहीं रही।
- कृषि वयव्साय की असफलता के कई अन्य कारण भी हैं जिनमें से एक प्रमुख है कि हरित क्रांति देश के सभी भागों में नहीं लाई जा सकी। नई फसलों की बाधाओं को दूर नहीं किया गया, उर्वरकों के उपयोग में असमानता, उत्पादक भूमि न होना और कुछ गैर–सरकारी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा आनुवांशिक फसलों की शुरूआत करने को विवादासपद बनाना, जिसमें कहा जा रहा है कि कम हो रही सिंचित भूमि के लिऐ यह जैनेटिक फसलें लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं।

कृषि वयवसाय में लाभ न होने का एक प्रमुख कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में पूँजी निवेश कम है, इस क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारें कम निवेश कर रही हैं। वर्ष 1990 में कृषि नितियां एवम् कार्यक्रमों की समीक्षा से संबंधित समिति ने कहा था, 'कृषि क्षेत्र में दो प्रकार की पूंजी निवेश जरूरी है, एक तो सरकार की ओर से उत्पादन वृद्धि के लिऐ आवश्यक आधारभूत सुविधाऐं जुटाने के लिऐ और दूसरी किसानों द्वारा कृषि में निवेश करना। जबतक किसान भी इसमें निवेश नहीं करेंगे तो सरकार का निवेश यदि व्यर्थ नहीं तो लाभकारी भी सिद्ध नहीं होगा।'

कृषि संकट का अन्य प्रमुख कारण सरकारों द्वारा गाँव में पर्याप्त गैर कृषि रोजगार उपलब्ध नहीं कराना है। अन्य क्षेत्रों में रोजगार जुटाने से किसान कृषि आय के अतिरिक्त भी आय अर्जित कर सकते हैं।

इन सबसे कृषि क्षेत्र में अत्यधिक संकट आ चुका है, विशेषकर छोटे और मझौले किसानों के लिऐ पिछले 25 वर्षों से कृषि लाभकारी नहीं रही। इस संकट पर कभी–कभी ही सरकारें विचार करती हैं विशेषकर तब जब किसान निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे ही हाराकिरी समाप्त होती है और आत्महत्या के मुद्दे शांत हो जाते हैं तो नेता लोग और लोकतंत्र के अन्य रखवाले किसी दूसरे मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं जिसका ग्रामीणों से कोई लेना–देना नहीं होता।

दिसंबर, 2014 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी किसानों के घरों का मूल्यांकण सर्वेक्षण की नवीनतम स्थिति में इसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण कार्यालय ने सूचित किया है कि कृषि वर्ष जुलाई, 2012 – से जून, 2013 के बीच प्रत्येक किसान परिवार की औसत मासिक आय रू. 6,426/– थी जिसमें गैर कृषि आय भी शामिल है। यह आय प्रति किसान परिवार के मासिक औसत व्यय रू. 6,223/– से कुछ ही अधिक है।

अभी झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वालों की बात करें, जो लोग गाँव छोड़कर झुग्गी में रह रहे हैं वह भी अधिक कमाते और खर्च करते हैं तथा अपने गाँव स्थित घर में भी कुछ पैसा भेज देते हैं। शहरों की एक झुग्गी में औसत जीवन जीने वाला भी एक औसत गाँव वासी से भी अधिक पौष्टिक भोजन करता है जैसा सी.आर.ऐ.पी.पी. की रिपोर्ट में कहा गया है जो जुलाई, 1990 में कृषि मंत्रालय में भानू प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी।

ऐस.ऐ.ऐस. का एक अन्य खतरनाक निष्कर्श यह है कि हर दूसरा कृषि घर ऋणि है। प्रति कृषि घर की दर से औसत बकाया ऋण रू. 47,000/– था जो उनकी मासिक आय से 7.3 गुना अधिक है। ऋण चुकाने में असमर्थ, विभिन्न सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करने से किसानों का संकट बढ़ता है और बहुत से किसान आत्महत्या कर लेते हैं। किंतु संबंधित राज्य सरकारें मृत किसान के परिवार को खैरात के रूप में केवल रू. 1 लाख देती है।

केन्द्र सरकार भी कृषि चुनौती का सामना करने की इच्छुक नहीं है जैसा संसद में उठाऐ गऐ प्रश्नों के उत्तरों से प्रतित होता है। कृषि संकट और किसानों की दशा एवम् आत्महत्या से संबंधित मुद्दों का उत्तर वैसे ही दिया जाता है जैसे ऐन.ड़ी.ऐ. सरकार दे रही है और यू.पी.ऐ. सरकार देती थी।

ऐन.ड़ी.ऐ. – 1 की सरकार में तत्कालिन कृषि राज्य मंत्री सोमपाल ने 28 मई, 1998 को राज्य सभा में किसानों की आत्महत्या से संबंधित प्रश्न के उत्तर में कहा था : 'संबंधित राज्य सरकारों की यह पहली जिम्मेवारी है कि वह प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत दें। केन्द्र सरकार केवल राज्य सरकारों द्वारा किऐ गऐ प्रयासों के लिऐ प्रतिपूर्ति कर सकती है जिसके लिऐ वह समय–समय पर नियुक्त वित्त कमीशन की सिफारिशों पर अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करा सकती है। इस उत्तर की तुलना यू.पी.ऐ. – 2 की सरकार में तत्कालिन कृषि मंत्री श्री शरद पवार की प्रतिक्रिया से कि जा सकती है जिसमें उन्होंने 27 नवम्बर, 2002 को राज्य सभा में उत्तर दिया था कि 'कृषि राज्य का विषय है और सभी आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा ही की जानी चाहिऐ। फिर भी भारत सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किऐ गऐ प्रयासों का समर्थन करती है और किसानों की समस्याऐं निपटाने के लिऐ अधिकतम बल देती है।'

इन दोनों की प्रतिक्रियाओं की आगे तुलना 2 दिसम्बर, 2014 को लोक–सभा में पूछे गऐ प्रश्न पर कृषि राज्य मंत्री मोहनभाई कुनड़ेरिया द्वारा दिऐ गऐ उत्तर से की जा सकती है जिसमें उन्होंने कहा 'भारत सरकार ने कृषि संकट पर कोई अध्ययन नहीं कराया है क्योंकि संविधान के अंतर्गत कृषि राज्य सरकारों का विषय है और राज्य सरकारें ही किसानों के कल्याण सहित कृषि के विकास के लिऐ प्राथमिक रूप से जिम्मेवार है।'

कितने और किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी जिससे केन्द्र सरकार ऐसे बहाने छोड़ दे जिसमें संविधान का हवाला देकर केन्द्र सरकार कहती है कि कृषि राज्य सरकारों का विषय है। आत्महत्या करने वाले उन हजारों किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिऐ केन्द्र और राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम पूर्ण रूप में लागू करना चाहिऐ जिसमें सूखा, बाढ़, औला वृष्टि और अन्य कई आपदाऐं शामिल हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, एक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि प्रत्येक राज्य में बनाने का प्रावधान है और राज्यों में प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि बनाने का प्रावधान है।

कानून में आपदा आने पर राहत देने के लिऐ एक राष्ट्रीय आपदा निपटान निधि (ऐन.ड़ी.ऐफ.ऐम.), राज्य आपदा निपटान निधि और जिला आपदा निपटान निधि का भी प्रावधान है।

14वें वित्त आयोग ने फरवरी, 2015 प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा है 'राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक केवल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया है। सभी राज्य सरकरों ने एक राज्य स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन तो कर लिया है किंतु कुछ राज्यों ने ही जिला आपदा निपटान निधि का गठन किया है। इसी प्रकार कुछ राज्य सरकारों ने जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया है। आपदा आने कि स्थिति में जिला स्तरों पर राहत कार्य आमतौर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के धन के माध्यम से किया जाता है।' प्रयाप्त राशि सहित सांविधिक या कानूनी निधियां जुटाने, उन्हें तेजी से बांटने के अतिरिक्त केन्द्र और राज्य सरकारों को सभी मौसम और सभी फसलों तथा पशुओं के लिऐ बीमा योजना तैयार करनी चाहिऐ। इस योजना के अंतर्गत अंशदान या प्रीमिय की राशि का 70 प्रतिशत भाग केन्द्र और 20 प्रतिशत राज्य सरकारों तथा 10 प्रतिशत भुगतान किसनों द्वारा किया जाना चाहिऐ। यूरिया पर अधिकतम आर्थिक सहायता देने से अच्छा है बीमा का प्रीमियम देना क्योंकि बीमे की राशि से सभी प्रकार की कृषि से जुड़े हुऐ किसानों को समान लाभ मिलेगा।

सरकार को फसल बीमा से संबंधित विभिन्न पैनलों और अध्ययनों की सिफारिशों पर विचार करना चाहिऐ जिसमें अभी हाल ही में मई, 2014 में फसल बीमा योजना किर्यान्वयन की समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शामिल है। कृषि बीमा अधिनियम की सिफारिशों को लागू करने के अतिरिक्त समिति ने सिफारिश की है कि सरकार की फसल बीमा और

आपदा उन्मूलन उपाय को भी मिलाया जाऐ। इसने फसल बीमा की वास्तविक स्थिति से किसानों को अवगत कराने के लिऐ भी कहा गया है क्योंकि अधिकतम किसान इसे एक प्रकार का निवेश मानते हैं।

इस प्रकार जोखिम कम करने के लिऐ कृषि संकट को पहले कम करना होगा। इस दिशा में भंड़ारण और कृषि सिंचाई के लिऐ सतह के जल का भी उपयोग करना होगा। ऐसा करने से भूमिगत जल में हो रही कमी भी दूर होगा क्योंकि अधिकतम स्थानों पर ट्यूबवैल से सिंचाई की जाती है।

भारतीय जनता पार्टी को कृषि संकट को एक चुनौती मानना होगा क्योंकि लोक–सभा चुनावों में उसने वादा किया था कि हर खेत को पानी मिलेगा। सरकार को उन विषयों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे सूखा–रोधी, बाढ़–नियंत्रण, बिमारी–रोधी और उच्च उत्पादकता एवम् फसलों की विभिन्न मूल्यवान जिंसें। इस प्रकार के सपने को सच करने के लिऐ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिऐ जैनेटिक पद्धति अपनानी होगी।

विशेषज्ञों को कथन है कि जैनेटिक आशोधित फसलें कृषि संकट का अवश्य समाधान करेंगी किंतु आने वाली सरकारें किसी न किसी कारण से विदेशी सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संस्थानों द्वारा उपभोक्ताओं के मन में जी.ऐम. फसलों के डरावने स्वरूप को दूर करने की भी आवश्यकता है जिसके लिऐ न्यायालय भी समर्थन देता है। इस प्रकार उनकी स्थिति यह है कि :

- समय आ चुका है कि आशंकित डर और किसानों के द्वारा आधुनिक तकनिक अपनाकर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के अधिकार में संतुलन बनाया जाऐ।
- न्यायालयों को भी किसानों के और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अधिकारों को उसी प्रकार वरीयता देनी चाहिऐ जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, जीने का हक, सोने का हक और अन्य प्रकार के मौलिक हक।

कृषि जौखिम को कम करने का एक अन्य संवेदनशील पहलू है कि पब्लिक फंड़ से भंड़ारण, परिवहन और विपणन की आधारभूत सुविधाऐं विकसित की जाऐं। इसके लिऐ पूर्ण रूप से विपणन सुधार करने होंगे ताकि ऐसी पद्धति बनाई जा सके जिससे किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें मंड़ियों में न तो लंबा इंतजार करना पड़े और न ही उनका शोषण हो।

कृषि संकट को दूर करने के लिऐ एक व्यापक पैकेज की भी आवश्यकता है जिसमें आपदा आने पर किसानों द्वारा लिऐ गऐ ऋण का सरल भुगतान या ऋण माफ किया जा सके ताकि वे उम्र भर के लिऐ ऋणी न रहें।

पिछले 15 सालों के कृषि ऋण मुद्दे सुलझाने के लिऐ एक नई रणनिति बनाकर सरकार द्वारा स्थापित समितियों की समेकित सिफारिशों और भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों को लागू करना होगा। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक को नवम्बर, 2006 में प्रस्तुत प्रभावित किसानों को राहत देने के लिऐ सुझाऐ गऐ उपायों से संबंधित समूह की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। इसमें उल्लेख किया गया है : 'सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिऐ आवश्यक कदम उठाने होंगे। लेकिन भारत के लगभग सभी देशों में आर्थिक संकट का प्रमुख कारण ऋणी होना है जो कि एक सामान्य पहलू है।'

निजी साहूकारों द्वारा लिऐ जा रहे अनाप–शनाप ब्याज से किसानों को बचाने के लिऐ एक समूह ने साहूकारी विनियम अधिनियम का कानून बनाने की सिफारिश की है जिसकी अध्यक्षता प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉ० ऐस.ऐस. जोशी ने की थी। प्रस्तावित कानून में निर्धारित किया जाऐ की ऋण लेने वाले की देनदारी उधार की राशि से दो गुनी से ज्यादा नहीं होगी। इसके लिऐ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उधार देने की ब्याजदर निर्धारित कि जानी चाहिऐ जिसमें कुछ लाभ जोड़ा जा सकता है अर्थात् 4 प्रतिशत के आस–पास।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार को गैर–कृषि रोजगार योजनाओं पर भी ध्यान देना चाहिऐ जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और फूड़–पार्कस की योजना बनाने से ही ग्रामीण लोगों की दशा नहीं सुधरेगी। इसके लिऐ इन विद्यमान योजनाओं को और अच्छा बनाना होगा और इनके लिऐ राशि आबंटित करनी होगी। इस संदर्भ में प्रतिष्ठित सहकारी संस्थाओं और निजी विपणन क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी शामिल की जा सकती है। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य कॉटेज और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देना हो जिससे की कृषि उत्पादों, कृषि सह–उत्पादों और बेकार सामग्री से अच्छी वस्तुऐं तैयार की जा सकें।

अतः मोदी सरकार को एक नवीन कार्यक्रम की शुरूआत करनी होगी जो निर्माण और सेवा उद्योग को बढ़ावा दे विशेषकर अर्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गोन उद्योग। डॉ० जोशी के समूह का कहना है, 'किसानों की दशा सुधारने का रहस्य गैर–कृषि क्षेत्र में विद्यमान है। इन किसानों को वैक्लपिक कुशलता से सक्ष्म बनाने की आवश्यकता है ताकि या तो वह कृषि क्षेत्र से बाहर निकल सकें या वे अंशकालिक किसान बने रहें।